

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तांक, १६२१ का नियम १२६ )

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 122/2011

शिव वचन राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, सोनपुर, सारण।)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
16.04.2015	<p>यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 1030/आ० दिनांक 19.11.11 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.2011 को जॉच दल के द्वारा शिव वचन राय जनवितरण प्रणाली विक्रेता बजहियों प्रखंड दरियापुर अनु० सं० 25/07 की दुकान की जॉच की गई। जॉच के कम में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दूकान बन्द पाई गई।</li> <li>2. लाभको की सूची प्रदर्शित नहीं थी।</li> <li>3. खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित नहीं था।</li> </ol> <p>उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 899/आ० दिनांक 11.11.11 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर के द्वारा अपने ज्ञापांक 1030 दिनांक 19.11.11 के द्वारा विक्रेता की अनु० रद्द कर दी गई जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।</p> <p>सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जॉच की तिथि को विक्रेता धान कटाने अपने खेत पर चले गए थे। लाभको की सूची यथास्थान प्रदर्शित थी जिसकी कम्प्यूटराईज्ड प्रति विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर अनुज्ञापन पदाधिकारी को दी गई थी। जहाँ तक खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित करने का प्रश्न है, विक्रेता के द्वारा राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव करने के पश्चात् पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के संयोजक से भंडार का भौतिक सत्यापन कराने के बाद खाद्यान्न के नमूना को यथास्थान प्रदर्शित किया</p>	



जाता है। जॉच की तिथि 25.10.11 को खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया था। यह कार्य दिनांक 27.10.11 को किया गया है। इससे संबंधित भंडार निर्गमादेश की प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिशीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश एक मुखर आदेश (Speaking Order) नहीं है। जॉच के क्रम में दूकान यदि बन्द पाई गई तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि एक तिथि निर्धारित कर विक्रेता को सभी कागजात एवं पंजियों के साथ कार्यालय में बुलाते एवं उनकी जॉच की जाती और यदि जॉच में कोई अनियमितता पाई जाती तो कारण पृच्छा करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी। विक्रेता की दूकान से संबंध उपभोक्ताओं का बयान भी जॉच दल के द्वारा नहीं लिया गया है। इससे भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री के उठाव एवं वितरण में कोई अनियमितता बरती जा रही थी।

अपीलार्थी को निर्देश है कि भविष्य में कभी भी किसी अपरिहार्य कारणवश यदि वे दूकान पर उपस्थित न हो तब प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दूकान का संचालन अवश्य सुनिश्चित करावें। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी परिस्थिति में निर्धारित कार्य अवधि के दौरान दूकान बन्द न रखी जाय। साथ ही, अपनी अनुपस्थिति के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए इसे निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 12.12.11 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

आपां 254 / न्या / डिवां 17/4/15

उल्लिखित - 500 सेनापु की अन्तिम मूल में संलग्न का स्वचालन एवं  
आपका दस्तावेज 12.12.11 को निरस्त किया गया है।  
जिले के website पर प्लब्लिश करने हेतु  
निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय सप समाहर्ता  
जिला विधि शाखा सारण